संख्या-03/2024/I/479061/2024 /002-71-4002-001-1-2023

प्रेषक,

आनन्द कुमार त्रिपाठी,
उप सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

कुलसचिव,
अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सान विश्वविद्यालय,
लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-4 लखनऊ : दिनांक 24 जनवरी, 2024

विषय:- अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वाविद्यालय, लखनऊ के गैर वेतन मद में द्वितीय किश्त की वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कुलपति अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय लखनऊ के पत्र संख्या-5531/लेखा/अ0बि0वा0चि0वि0/2023 दिनांक-21.12.2023 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय लखनऊ हेतु मानक मद-20 सहायता अनुदान सामान्य (गैर-वेतन) मद में प्राविधानित धनरशि के सापेक्ष द्वितीय किश्त की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में अनुदान संख्या-31 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-05-चिकित्सा शिक्षा-प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-105-एलोपैथी-03-शिक्षा-0387-मा0 अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ, उ0प्र0 मानक मद-20 सहायता अनुदान सामान्य (गैर-वेतन) मद में प्राविधानित धनरशि रू० 550.00 लाख के सापेक्ष **द्वितीय किश्त** के रूप में **रू० 91.00 लाख (रुपये इक्यानवे लाख मात्र)** की धनराशि अवमुक्त करते हुए आपके निर्वतन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों /प्रतिबंधों के अधीन प्रदान करते हैं:-

नियम व शर्ते / प्रतिबन्धों

1. स्वीकृत धनराशि का उपयोग निर्धारित मदों में सुसंगत वित्ती2य नियमों के अधीन किया जायेगा।
2. धनराशि का आहरण वास्तरविक आवश्यधकतानुसार किया जायेगा तथा इसे आहरित कर किसी बैंक/डाकघर/पी0एल0ए0 में नहीं रखा जायेगा।
3. स्वीकृत धनराशि का व्यकय विवरण निर्धारित प्रारूप पर शासन को उपलब्धि कराया जायेगा, इसके अभाव में अनुदान की आगामी किश्तक निर्गत किया जाना संभव नहीं होगा।
4. धनराशि को कोषागार से विश्वविद्यालय के वित्त अधिकारी द्वारा आहरित किया जायेगा एवं बिलों पर महानिदेशक, चिकित्सा् शिक्षा एवं प्रशिक्षण उ0प्र0 लखनऊ के प्रतिहस्ताोक्षर प्राप्तर किये जायेंगे।
5. उपर्युक्तानुसार निर्गत की जा रही वित्तीय स्वीकृति के आवंटन/व्यय के संबंध में वित्त (आय व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023 दिनांक 17 मार्च, 2023 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों के सापेक्ष सुसंगत शर्तो/प्रतिबंधों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा तथा इसका सम्पूर्ण उत्त रदायित्वस विश्वविद्यालय के प्रमुख एवं वित्त नियंत्रक का होगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 91,00,000 (रुपये इक्यानबे लाख मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 20232024 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 031 **लेखा शीर्षक** 2210051050387 मा0 अटल बिहारी बाजपेयी उत्तर प्रदेश चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ **मानक मद** 20 सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन) के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के FINRMS सिस्टम द्वारा उत्पन्न संख्या ई-3-294/दस-2023-24 दिनांक 24-01-2024 द्वारा प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,
(आनन्द कुमार त्रिपाठी),
उप सचिव।

संख्या एवं तद्दिनांक।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय ,उ0प्र0, प्रयागराज।
2) महालेखाकार (लेखा-परीक्षा), प्रथम/द्वितीय ,उ0प्र0, लखनऊ/प्रयागराज।
3) वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-3, उ0प्र0 शासन।
4) निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 प्रयागराज।
5) कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट, लखनऊ ।
6) महानिदेशक, चिकित्सा् शिक्षा एवं प्रशिक्षण, लखनऊ।
7) वित्त अधिकारी,अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय,लखनऊ ।
8) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, उ०प्र० शासन।
9) नोडल अधिकारी, बजट, चिकित्साय शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
10) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
(आनन्द कुमार त्रिपाठी),
उप सचिव।